



1026  
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम स्वामी की पत्निकी उक्त 2015-78 के खेता सं. 8 में खेतादार का नाम पिन्डू कुं राज्य दर्ज है। उपाई का उद्देश्य दस्तावेज परिष्करण पत्र, आभाटार्ड, मा. सि. नोड की प्रकल्पिका में उपाई का नाम पिन्डू कुमार शैलेंद्रमा प्रामाणिक है। अतः श्रीमान को ये निवेदन है कि उपाई का नाम पिन्डू कुं राज्य के वपाम पिन्डू कुमार शैलेंद्रमाद किया जाने रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सार प्रेषित है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक : 08/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

उपरान्त विना जाग उचित है।

08/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 08/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	धमौरा	2015-78	8	पिन्डू कुं राज्य	पिन्डू कुमार कुं शैलेंद्र प्रजाद

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/11/21

राजस्व / 2020 / 777-78

तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी